



प्रेस नोट जनपद गाजियाबाद दिनांक 12.09.2021

सनसनीखेज हत्या के अभियोग में वांछित बीडीसी समेत 04 अभियुक्तगण गिरफ्तार कब्जे से हत्या में प्रयुक्त दो पिस्टल .32 वोर व तमन्चा .315 बोर तथा कारतूस व मृतक की लूटी गयी मो0 सा0 बरामद तथा अस्लाह बेचने वाला 01 अभि0 तथा उसका 01 साथी गिरफ्तार कब्जे से 2 तमंचे .315 बोर बरामद

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद महोदय द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदय व श्रीमान क्षेत्राधिकारी मोदीनगर महोदय के कुशल निर्देशन में थाना भोजपुर पुलिस व श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदय की एस0ओ0जी0 टीम द्वारा दिनांक 02.09.2021 को ग्राम मुकीमपुर में नरेश की हुई हत्या करने वाले 04 वांछित अभियुक्तों 1. अंकुश उर्फ अंकुर, 2. नितिन रावत उर्फ भोलू, 3. विनीत उर्फ गोलू, 4. अमित उर्फ दीवान सम्बन्धित मु0अ0सं0 518/21 धारा 302/394/34 भादवि व 3(2)5 एस0सी0/एस0टी0 अधि0 थाना भोजपुर जिला गाजियाबाद को मय हत्या में प्रयुक्त पिस्टल, तमन्चो व कारतूसों तथा मृतक नरेश की लूटी हुई अपाचे मो0 सा0 के साथ मुखबिर की सूचना पर फ्लेट न0 UGF 103 शिव गंगा अपार्टमेंट आकाश नगर थाना मसूरी जिला गाजियाबाद से गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है।

विवरण-----दिनांक 02.09.2021 को थाना भोजपुर क्षेत्रान्तर्गत में ग्राम मुकीमपुर में नरेश पुत्र चतरे की गांव के ही पास गोलियां मारकर हत्या कर दी गयी थी मृतक नरेश के भाई देवेन्द्र पुत्र चतरे द्वारा मु0अ0सं0 518/2021 धारा 302 भादवि वनाम 1. अंकुश उर्फ अंकुर पुत्र धर्मेन्द्र नि0 मुकीमपुर की मढ़ैया 2. नितिन रावत उर्फ भोलू पुत्र ओमवीर नि0 मुकीमपुर की मढ़ैया व अज्ञात के विरुद्ध दिनांक 03.09.2021 को पजीकृत कराया गया था दौराने विवेचना अभि0 विनीत उर्फ गोलू पुत्र लोकेन्द्र नि0 मुकीमपुर की मढ़ैया व अभि0 अमित उर्फ दीवान पुत्र धर्मपाल नि0 मुकीमपुर के नाम हत्या में प्रकाश में आये थे तथा अभियोग में धारा 394/34 भादवि व 3(2)5 एस0सी0/एस0टी0 अधिनियम की बढोत्तरी की गयी। दिनांक 11.09.2021 को उपरोक्त अभि0गणों को मुखबिर की सूचना पर फ्लेट न0 UGF 103 शिव गंगा अपार्टमेंट आकाश नगर थाना मसूरी जिला गाजियाबाद से गिरफ्तार किया गया है अभि0गणों के कब्जे से हत्या में प्रयुक्त 02 अदद पिस्टल .32 वोर नाजायज व 05 जिन्दा कारतूस.32 वोर , 01 अदद .315 वोर नाजायज तमन्चा व 03 अदद जिन्दा कारतूस .315 वोर तथा मृतक की अपाचे मो0 साइकिल न0 UP 14 CW 3572 जो कि अभियुक्तगण मृतक नरेश की हत्या करने बाद लूट कर ले गये थे भी बरामद की गयी है। मृतक नरेश ने अभि0 नितिन उर्फ भोलू से 36 हजार रू0 करीब साढे तीन साल पहले के उधार लिये थे मृतक नरेश द्वारा दस हजार रू0 अभि0 भोलू को वापस दे दिये गये थे तथा शेष 26 हजार रू0 अभि0 भोलू मृतक से बार बार अपने उधार के रुपये मांगता था किन्तु मृतक द्वारा पैसे वापस नहीं दिये गये तथा गाली गलौच कर दी गयी थी तथा झूठे मुकदमें में फसाने की धमकी दी थी इससे नाराज होकर अभि0 भोलू द्वारा अपने तीन उपरोक्त साथियों के साथ मिलकर एक राय होकर नरेश की हत्या कर दी।

गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा हत्या में प्रयुक्त दोनों पिस्टल व तमन्चा तथा कारतूस थाना भोजपुर के अन्तर्गत ग्राम नाहली के इस्लामुद्दीन पुत्र करामत से पिस्टल 30-30 हजार रू0 में व तमन्चा 5 हजार रू0 में करीब 1 माह पूर्व खरीदे थे। अभि0 इस्लामुद्दीन को उसके साथी आरिफ पुत्र फजरू नि0 नाहली को भी मय दो अदद तमन्चो .315 वोर के साथ ग्राम नाहली के बाहर खेतों के पास से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तगणों को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जायेगा।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-

1. अंकुश उर्फ अंकुर पुत्र धर्मेन्द्र नि0 मुकीमपुर की मढ़ैया थाना भोजपुर जनपद गाजियाबाद,

2. नितिन रावत उर्फ भोलू पुत्र ओमवीर नि० मुकीमपुर की मढैया थाना भोजपुर जनपद गाजियाबाद,
3. विनीत उर्फ गोलू पुत्र लोकेन्द्र नि० मुकीमपुर की मढैया थाना भोजपुर जनपद गाजियाबाद,
4. अमित उर्फ दीवान पुत्र धर्मपाल नि० मुकीमपुरथाना भोजपुर जनपद गाजियाबाद,
5. इस्लामुद्दीन पुत्र करामत नि० ग्राम नाहली थाना भोजपुर जनपद गाजियाबाद,
6. आरिफ पुत्र फजरू मूल निवासी ग्राम सिवाल खास थाना भावनपुर जनपद मेरठ हाल नि० ग्राम नाहली थाना भोजपुर जनपद गाजियाबाद,

बरामदगी का विवरण----

1. दो अदद पिस्टल .32 वोर मय 05 जिन्दा कारतूस .32 वोर
2. तीन अदद तमन्चे .315 वोर मय 03 जिन्दा कारतूस .315 वोर
3. मृतक नरेश की लूटी हुई अपाचे मो० सा०

1. अभियुक्त अकुश उर्फ अंकुर का आपराधिक इतिहास :-

1. मु०अ०सं० 213/2012 धारा 323/506/307 भादवि थाना पिलखुआ जनपद हापुड
2. मु०अ०सं० 491/2012 धारा 2/3 गैन्गस्टर अधिनियम थाना पिलखुआ जनपद हापुड
3. मु०अ०सं० 556/2012 धारा 307 भादवि थाना पिलखुआ जनपद हापुड
4. मु०अ०सं० 204/2013 धारा 307/115 भादवि थाना पिलखुआ जनपद हापुड
5. मु०अ०सं० 322/2013 धारा 147/148/149/307/419/205 भादवि थाना शिकारपुर बु०शहर
6. मु०अ०सं० 324/2013 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना शिकारपुर बु०शहर,
7. मु०अ०सं० 276/2014 धारा 147/148/149/302 भादवि व 3(2)5 एस०एस०/एस०टी० अधिनियम थाना पिलखुआ जनपद हापुड
8. मु०अ०सं० 260/2014 धारा 392 भादवि थाना पिलखुआ जनपद हापुड
9. मु०अ०सं० 315/2014 धारा 392 भादवि थाना पिलखुआ जनपद हापुड
10. मु०अ०सं० 342/2014 धारा 307 भादवि थाना पिलखुआ जनपद हापुड
11. मु०अ०सं० 344/2014 धारा 3//25 आयुध अधिनियम थाना पिलखुआ जनपद हापुड
12. मु०अ०सं० 406/2014 धारा 2/3 गैन्गस्टर अधिनियम थाना पिलखुआ जनपद हापुड
13. मु०अ०सं० 408/2014 धारा 147/148/149/302/120वी भादवि व 7 सी०एल०ए० अधिनियम थाना हापुड नगर जनपद हापुड
14. मु०अ०सं० 0575/2015 धारा 3/4 गुन्डा अधिनियम थाना पिलखुआ जनपद हापुड
15. मु०अ०सं० 0622/2015 धारा 307 भादवि थाना पिलखुआ जनपद हापुड
16. मु०अ०सं० 151/2016 धारा 147/148/323/353/504/506 भादवि व 7 सी०एल०ए० अधिनियम थाना भोजपुर जनपद गा०बाद
17. मु०अ०सं० 231/2016 धारा 110 जी सीआरपीसी थाना भोजपुर गा०बाद
18. मु०अ०सं० 206/2018 धारा 379/411 भादवि थाना साहिवाबाद गा०बाद
19. मु०अ०सं० 620/2018 धारा 307/506 भादवि थाना साहिवाबाद गा०बाद
20. मु०अ०सं० 729/2018 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना साहिवाबाद गा०बाद
21. मु०अ०सं० 518/21 धारा 302/394/34/411 भादवि व 3(2)5 एस०सी०/एस०टी० अधिनियम थाना भोजपुर गा०बाद
22. मु०अ०सं० 530 /2021 धारा 3/25/27 आयुध अधिनियम थाना भोजपुर गा०बाद

2. अभियुक्त नितिन उर्फ भोलू का आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 13/2011 धारा 307/506 भादवि व 3(1)10 एस0सी0/एस0टी0 अधिनियम थाना पिलखुआ जनपद हापुड
2. मु0अ0सं0 518/21 धारा 302/394/34/411 भादवि व 3(2)5 एस0सी0/एस0टी0 अधिनियम थाना भोजपुर गा0बाद
3. मु0अ0सं0 529/2021 धारा 3/25/27 आयुध अधिनियम थाना भोजपुर गा0बाद

3. अभियुक्त विनीत उर्फ गोलू का आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 518/21 धारा 302/394/34/411 भादवि व 3(2)5 एस0सी0/एस0टी0 अधिनियम थाना भोजपुर गा0बाद
2. मु0अ0सं0 /2021 धारा 3/25/27 आयुध अधिनियम थाना भोजपुर गा0बाद

4. अभियुक्त अमित उर्फ दीवान का आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 114/2015 धारा 392 भादवि थाना पिलखुआ जनपद हापुड
2. मु0अ0सं0 159/2015 धारा 3/4 गुन्डा अधिनियम थाना पिलखुआ जनपद हापुड
3. मु0अ0सं0 200/2015 धारा 398/401 भादवि थाना पिलखुआ जनपद हापुड
4. मु0अ0सं0 201/2015 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना पिलखुआ जनपद हापुड
5. मु0अ0सं0 359/2016 धारा 10 गुन्डा अधिनियम थाना भोजपुर गा0बाद
6. मु0अ0सं0 406/2016 धारा 2/3 गैन्गस्टर अधिनियम थाना पिलखुआ जनपद हापुड
7. मु0अ0सं0 518/21 धारा 302/394/34/411 भादवि व 3(2)5 SC/ST Act. थाना भोजपुर
8. मु0अ0सं0 532/2021 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना भोजपुर गा0बाद

5. अभियुक्त इस्लामुद्दीन का आपराधिक इतिहास (अस्लाह बेचने वाला)

1. मु0अ0सं0 172/2005 धारा 307 भादवि थाना भोजपुर गा0बाद
2. 173/2005 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना भोजपुर गा0बाद
3. मु0अ0सं0 33/2008 धारा 110 जी सीआरपीसी थाना भोजपुर गा0बाद .
4. मु0अ0सं0 280/2008 धारा 3/25/27 आयुध अधिनियम थाना भोजपुर जनपद गा0बाद 5. मु0अ0सं0 281/2008 धारा 41/102 सीआरपीसी व 414 भादवि थाना भोजपुर गा0बाद
6. मु0अ0सं0 14/2009 धारा 3/4 गुन्डा अधिनियम थाना भोजपुर गा0बाद
7. मु0अ0सं0 134/2010 धारा 147/323/307 भादवि थाना भोजपुर गा0बाद

8. मु0अ0सं0 387/2010 धारा 323/307/504/506 भादवि थाना भोजपुर गा0बाद
9. मु0अ0सं0 119A/2011 धारा 147/148/149/307 भादवि थाना भोजपुर गा0बाद
10. मु0अ0सं0 274/2012 धारा 3/4 गुन्डा अधिनियम थाना भोजपुर गा0बाद
11. मु0अ0सं0 02/2013 धारा 110 जी सीआरपीसी थाना भोजपुर गा0बाद
12. मु0अ0सं0 420/2013 धारा 147/148/149/307 भादवि थाना भोजपुर गा0बाद
13. मु0अ0सं0 209/2015 धारा 147/148/149/307 भादवि थाना भोजपुर गा0बाद
14. मु0अ0सं0 533/2021 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना भोजपुर गा0बाद

6. अभियुक्त आरिफ का आपराधिक इतिहास

मु0अ0सं0 534/2021 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना भोजपुर गा0बाद

बरामदगी/गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम

1. प्रभात कुमार दीक्षित थानाध्यक्ष थाना भोजपुर गा0बाद
2. उ0नि0 मनीष चौहान थाना भोजपुर गाजियाबाद
3. उ0नि0 अरविन्द शर्मा थाना भोजपुर गा0बाद
4. उ0नि0 आशुबोध तरार थाना भोजपुर गा0बाद
5. उ0नि0 अशोक कुमार थाना भोजपुर गाजियाबाद
6. उ0नि0 सौरभ राठौर थाना भोजपुर गा0बाद
7. उ0नि0 अरूण कुमार थाना भोजपुर गा0बाद
8. उ0नि0 मंयक कुमार थाना भोजपुर गा0बाद
9. उ0नि0 सुमित चौधरी थाना भोजपुर गा0बाद
10. है0का0 657 अरूण कुमार एस0ओ0जी0 टीम पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदय
11. है0का0 1416 विपिन कुमार एस0ओ0जी0 टीम पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदय
12. का0 904 अनिल सिंह एस0ओ0जी0 टीम पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदय
13. हे0कां0 1660 दुर्वेश कुमार थाना भोजपुर, गा0बाद
14. का0 1793 अमित कुमार थाना भोजपुर गा0बाद
15. का0 3872 विकासचन्द्र थाना भोजपुर गाजियाबाद



थाना इन्दिरापुरम पुलिस द्वारा ऑप्रेशन स्माईल के तहत 01 गुमशुदा लडका सकुशल बरामद कर परिजनो के सुपुर्द किया

कार्यवाही:—थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम द्वारा दिनांक 12.09.2021 को थाना इंदिरापुरम के वसुंधरा कट से एक गुमशुदा नमित पुत्र शैलेन्द्र निवासी आम्रपाली ग्रीन सोसाईटी थाना इंदिरापुरम जनपद गाजियाबाद को चौकी प्रभारी शिप्रासन सिटी उ0नि0 मंजू सिंह द्वारा बरामद कर सकुशल उसके परिजनों को सुपुर्द किया गया।

घटना का संक्षिप्त:—दिनांक 12.09.2021 को श्री शैलेन्द्र निवासी आम्रपाली ग्रीन सोसाईटी थाना इंदिरापुरम जनपद गाजियाबाद द्वारा थाना हाजा पर सूचना अंकित करायी कि मेरा बेटा नमित जो दिनांक 11.06.2021 को बिना बताये घर से चला गया है इस सूचना पर प्रभारी निरीक्षक इंदिरापुरम के निर्देशन मे गुमशुदा नमित को सकुशल बरामद करने हेतु उ0नि0 मंजू सिंह, हे0का0 ऋषिपाल सिंह, का0 सोनू कुमार की एक टीम गठित की गयी। गठित टीम द्वारा तत्परता से कार्यवाही करते हुए गश्ती तलाश व सोशल मीडिया आदि के माध्यम से गुमशुदा को वसुंधरा रेड लाईट से सकुशल बरामद कर उसके परिजनों के सुपुर्द किया गया जिसकी स्थानीय लोगों व परिजनों द्वारा पुलिस द्वारा किये गये इस सराहनीय कार्य की भूरी-भूरी प्रशंसा की हैं।



थाना कौशाम्बी पुलिस द्वारा वेब सिनेमा के पास हुई घटना के मुख्य आरोपी 02 अभियुक्त घटना में प्रयुक्त अवैध तमन्चा मय एक जिन्दा कारतूस मय स्कूटी सहित गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गाजियाबाद द्वारा अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान में पुलिस अधीक्षक नगर द्वितीय महोदय व क्षेत्राधिकारी नगर तृतीय महोदय के कुशल निर्देशन में तथा प्रभारी निरीक्षक थाना कौशाम्बी व पुलिस टीम द्वारा दिनांक 12.09.2021 को मेट्रो स्टेशन कौशाम्बी थाना कौशाम्बी गाजियाबाद से मु0अ0सं0 707/2021 धारा 307/120बी भादवि के दो नफर अभियुक्त जो मुख्य आरोपी है घटना में प्रयुक्त तमन्चा 315 बोर मय एक जिन्दा कारतूस व स्कूटी सहित गिरफ्तार करके न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त गण-

- 1.यासीन पुत्र जाकिर नि0 279 गली न0 8 निलाहौर शास्त्रीनगर थाना गीता कालौनी दिल्ली ।
- 2.उवैश पुत्र यासीन नि0 गली न0 5 आरामपार्क मैनखुरैजी गीता कालौनी दिल्ली ।

नाम पता फरार अभियुक्तगण -

- 1.नवाब पुत्र लाल मौहम्मद पता 3/76 जे 3 जे एक्सटेंशन किशनकुंज लक्ष्मीनगर थाना शकरपुर दिल्ली।

अपराध कारित करने का तरीका-

अभियुक्त नवाब का लगभग 01 महीने पूर्व मजरुब हाशिम से रुपयो के लेन देन को लेकर लक्ष्मीनगर दिल्ली में झगडा हुआ था जिसमें मजरुब हाशिम ने अभियुक्त नवाब की लक्ष्मीनगर की गलियों में काफी पिटाई की थी और बेइज्जत किया था और इसकी विडियो बनाकर वायरल कर दी थी जिससे नवाब को काफी बेईज्जती महसूस हो रही थी नवाब ने उसी समय बदला लेने की घोषणा की थी ओर कुछ समय बाद अपने भांजे यासीन और उसके दोस्त उवैश को हाशिम हत्या करने के लिये तैयार किया था दिनांक 10/09/2021 को नवाब ने अपराधिक षडयन्त्र लक्ष्मीनगर की ही रहने वाली महिला मित्रो जो ममेरी फुफेरी बहन है को इस षडयन्त्र में 10 - 10 हजार रुपयो का लालच देकर शामिल किया एक को हाशिम का मोबाइल नम्बर लेकर प्राप्त कराया गया एक ने झुठा प्रेम का नाटक कर हाशिम से काल, व्हाट्स अप शुरू कर दी तय योजना के तहत दोनो का मूवी का टिकट वेब सिनेमा

कौशाम्बी का दिनांक 10.09.2021 शाम की शो का नवाब ने अपने नम्बर से बुक किया शो समाप्त होने से पहले ही एक ने फोन कर हाशिम को उन्हे वेब सिनेमा से ले जाने के लिये बुलाया और यासीन को भी सूचना देती रही वे भी आकर हाशिम का इन्तजार करने लगे एक महिला मित्र ने वेब सिनेमा के बाहर आकर डांस कर इशारा किया और अन्दर वेब सिनेमा में चली गयी। फिर तीनों एक साथ बाहर निकले जैसे ही हाशिम ने वर्षा के कारण अपना मोबाईल स्कूटी की डिग्गी में रखने के लिये डिग्गी खोली तो मौका पाकर यासीन और उवैश ने हाशिम की पीठ में नजदीक से गोली मार दी और पार्किंग से होते हुये फरार हो गये षडयन्त्र मे शामिल दोनो महिलाओ को कल दिनांक 11.09.2021 को जेल भेज दिया गया है तथा मुख्य अभियुक्त उवैस व यासीन जो कही फरार होने की फिराक में थे आज दिनांक 12.09.2021 को मुखबिर की सूचना पर उवैश, यासीन उपरोक्त को कौशाम्बी मैट्रो स्टेशन के पास से उक्त घटना में प्रयुक्त हुआ तमन्चा 315 बोर मय एक जिन्दा कारतूस मय स्कूटी सहित गिरफ्तार किया गया है।

अभियुक्त गण का आपराधिक इतिहास का विवरण -

1. मु0अ0सं0 707/2021 धारा 307/120बी भादवि थाना कौशाम्बी गा0बाद।
 2. मु0अ0सं0 710/2021 धारा 3/25 आर्मस एक्ट थाना कौशाम्बी गा0बाद।
- व अन्य अपराधिक इतिहास के संबंध में जानकारी की जा रही है।

थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा व्यवसायी से रंगदारी मांगने वाले 04 नफर अभियुक्त गिरफ्तार

कार्यवाही:- जनपद गाजियाबाद में व्यवसायी अबुतराव की फैक्ट्री S K ट्रेड्स इण्डस्ट्रियल एरिया कविनगर में है जिनको 30 अगस्त 2021 को अज्ञात कॉलर द्वारा 10 लाख रुपये की रंगदारी हेतु कॉल किया गया और न देने के एवज अन्जाम भुगतने की लगातार धमकियाँ दी जा रही थी। प्रकरण की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए वादी/पीडित की शिकायत पर तत्काल एफआईआर दर्ज की गयी, श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद महोदय श्री पवन कुमार एवं श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर महोदय श्री निपुण अग्रवाल के के निर्देशन तथा श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम श्री महिपाल सिंह महोदय के निकट पर्यवेक्षण तथा प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर श्री अमित कुमार के कुशल नेतृत्व में टीम गठित की गयी तथा गठित टीम द्वारा दिनांक: 12-09-2021 को घटना का अनवारण करते हुए घटना में सम्मिलित 04 अभियुक्तगणों को घटना में प्रयुक्त की गयी फर्जी सिम के साथ गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तगण को माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है।



अपराध कारित करने का तरीका/पूछताछ का विवरण:

पकडे गये अभियुक्तगण जितेन्द्र एवं आकाश व्यवसायी की फैक्ट्री के ही कर्मचारी है जिनको कि मालिक की आने जाने व वाहन तथा परिवार के सदस्यों की पूर्ण जानकारी थी। जिनके द्वारा पैसो के लालच मे आकर मालिक से रंगदारी प्राप्त करने हेतु योजना बनायी गयी। मालिक को शक ना हो इसलिए अपने साथी विनीत (जो कि फर्जी सिम व खाता उपलब्ध कराता है) से फर्जी सिम व मोबाइल व खाता न0 प्राप्त कर अपने दूसरे साथी धर्मेन्द्र से (जिससे की आवाज पहचानी न जा सके) लगातार व्यवसायी को रंगदारी की धमकी दिलवायी गयी जिसमें अभियुक्त विनीत फरार है।

नाम व पता अभियुक्त :-

- 1- जित्ते उर्फ जितेन्द्र उम्र वर्ष पुत्र रामजीलाल नि0 19- नतोनार थाना अनूपशहर जनपद बु 0शहर

- 2- धर्मेन्द्र पुत्र चन्द्रपाल उम्र वर्ष नि0 19- सबदलपुर थाना कोतवाली बु 0शहर
- 3- अकाश पुत्र राकेश उम्र वर्ष नि0 23- खिन्दोडा थाना अमीनगर सराय बागपत
- 4- मंजीत सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह उम्र वर्ष नि0 26- सजानपुर थाना खैर अलीगढ

आपराधिक इतिहास अभियुक्तगण :-

मु0अ0सं0 873/21 धारा 387/506/420 भादवि

बरामदगी विवरण-

- (1) एक अदद सिम एयर टेल न0- 7428377035(घटना मे प्रयुक्तसम्बन्धित मु0अ0सं0 (- 873/21

थाना लोनी पुलिस द्वारा 01 शातिर चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी का 01 मोबाइल बरामद

श्री पवन कुमार पुलिस वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद द्वारा अपराध की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण गा0बाद एवं क्षेत्राधिकारी लोनी के निर्देशन में थाना लोनी पुलिस द्वारा अभियुक्त मुकीम S/O राशिद R/O मलिक चौक अशोक विहार कस्वा व थाना लोनी जनपद गाजियाबाद को मय चोरी के 01 मोबाइल IMEI न0 351678096482896 तथा 35167906482894 के साथ राशिद अली गेट से दिनांक 12.09.2021 को गिरफ्तार किया गया। आवश्यक कार्यवाही की जा रही है

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त -

मुकीम S/O राशिद R/O मलिक चौक अशोक विहार कस्वा व थाना लोनी जनपद गाजियाबाद

अभियुक्त के विरुद्ध पंजीकृत अभियोग का विवरण:

मु0अ0सं0-1302/2021 धारा 380/411 भादवि थाना लोनी गा0बाद

बरामदगी का विवरण:-

चोरी का 01 सैमसंग मोबाइल

थाना लोनी पुलिस द्वारा 01 नफर अभियुक्त मय 01 अदद चाकू

नाजायज सहित गिरफ्तार

श्री पवन कुमार पुलिस वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद द्वारा अपराध की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण गा0बाद एवं क्षेत्राधिकारी लोनी के निर्देशन में थाना लोनी पुलिस द्वारा 01 नफर अभियुक्त मुदरिसर पुत्र नसीम नि0 ग्राम शेखपुरा थाना खेकडा जनपद बागपत को मय

01 अदद नाजायज चाकू के साथ तुलसी स्वीट्स के पास लोनी तिराहा से दिनांक 11.09.2021 समय 23.30 बजे गिरफ्तार किया गया। आवश्यक कार्यवाही की जा रही है

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त -

मुदरिसर पुत्र नसीम नि0 ग्राम शेखपुरा थाना खेकडा जनपद बागपत ।

अभियुक्त के विरुद्ध पंजीकृत अभियोग का विवरण:

मु0अ0सं0-1304/2021 धारा 4/25 आयुध अधि0 थाना लोनी गा0बाद ,

बरामदगी का विवरण:-

01 अदद चाकू नाजायज चाकू बरामद होना

थाना लोनी पुलिस द्वारा चोरी की 01 मोटर साइकिल सहित 02 अभियुक्त गिरफ्तार

श्री पवन कुमार वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद द्वारा अपराध की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण गा0बाद एवं क्षेत्राधिकारी लोनी के निर्देशन में थाना लोनी पुलिस द्वारा अभियुक्त गण 1- गौरव पुत्र विनोद विनोद नि0 – ए-49 फेस-1 गली नं0-4 मौहल्ला शिव विहार थाना करावल नगर दिल्ली 2- समीर उर्फ जुल्लू पुत्र रफीक नि0-गली नं0-8 नियर पुराना चैक पोस्ट अशोक विहार थाना लोनी गा0बाद को मय चोरी की 01 मोटर साइकिल रजि0 नं0 – DL3SDQ3228 के साथ रजिस्ट्रार कट लोनी से दिनांक 12.09.2021 को गिरफ्तार किया गया। आवश्यक कार्यवाही की जा रही है

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त गण -

- 1- गौरव पुत्र विनोद विनोद नि0 – ए-49 फेस-1 गली नं0-4 मौहल्ला शिव विहार थाना करावल नगर दिल्ली
- 2- समीर उर्फ जुल्लू पुत्र रफीक नि0-गली नं0-8 नियर पुराना चैक पोस्ट अशोक विहार थाना लोनी गा0बाद

अभियुक्त गण के विरुद्ध पंजीकृत अभियोग का विवरण:

मु0अ0सं0-1305/2021 धारा 411/414 भादवि थाना लोनी गा0बाद

मु0अ0 सं0-1303/2021 धारा 393 भादवि थाना लोनी गा0बाद

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

1. उ0नि0 रामपाल सिंह
2. उ0नि0 बटुकेश्वर सिंह
3. है0का0 1674 अजय कुमार
4. का0 1443 सत्यदेव सिंह

बरामदगी का विवरण:-

चोरी की मोटर साइकिल रजि0 नं0 – DL3SDQ3228

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस द्वारा धोखाधड़ी कर ठगी करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार जिनके कब्जे से एक लैपटॉप, दो मोबाईल फोन, एक स्कार्पियो गाडी ,दो पैन ड्राइव ,11 रसीदे, एक स्कैन किया हुआ पीडी फार्म,22 फोटो व 14000/- रुपये नगद बरामद

कार्यवाही:- जनपद गाजियाबाद में अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद महोदय श्री पवन कुमार के निर्देशन श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्री डा0 ईरज रजा के पर्यवेक्षण में श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय श्री अतुल कुमार सोनकर महोदय के कुशल नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक थाना ट्रोनिका सिटी श्री संदीप कुमार सिंह की टीम के द्वारा दिनांक 11.09.2021 समय 23.50 बजे सैक्टर सी 3 रामपार्क तालाब के पास से मुखबिर की सूचना पर घटना में प्रयोग की गयी स्कार्पियो गाडी सहित दो अभियुक्तगण 1. अशोक कौशिक पुत्र राजवीर कौशिक निवासी म0नं0 50 गली नं0 50 गली नं0 2 कविता कुंज ईस्ट जवाहर नगर लोनी स्थायी निवासी ग्राम दौलतपुर थाना महावन जनपद मथुरा उम्र 30 2.दीपक कुमार पुत्र सोमपाल निवासी सैम्पल हाउस के पास रामपार्क थाना ट्रोनिका सिटी जनपद गाजियाबाद उम्र 28 वर्ष अस्थायी निवासी नीमखेड़ा थाना बुडाना जनपद मुजफ्फरनगर सम्बन्धित मु0अ0सं0 622/21 धारा 420/467/468/471/409 भादवि के गिरफ्तार किया गया।

अपराध कारित करने का तरीका/पूछताछ का विवरण:-

पकड़े गये अभियुक्तगण ने पूछताछ पर बताया कि साहब हम लोग अपने साथियों के साथ मिलकर विद्युत उपभोक्ताओं के फर्जी स्थायी विच्छेदन रसीद बनाकर जिन पर एस0डी0ओ0 के फर्जी हस्ताक्षर स्कैन करके उपभोक्ताओं से अवैध जुर्माना वसूलकर फर्जी बिल बनाकर वसूली गयी राशि को आपस में मिल बांटकर खर्च कर लेते हैं। हम लोगो ने श्री दिनेश पुत्र श्री सुन्दरलाल , सिद्धबाबा मन्दिर के पिछे ,इलायचीपुर मो0नं0 9958489091 से श्री दीपक पुत्र सोमपाल बंसल निकट सैम्पल हाउस रामपार्क मो0नं0 8506977312 के माध्यम से रु 31000/- लेकर श्री सुलेमान पुत्र आशयान (पूर्व मकान मालिक) के संयोजन सं0 5832/716772 का बकाया राशि के रु 77862/- तथा श्री गुलजार मो0नं0 8810564553 एफ ब्लॉक रामपार्क से श्री सुरेन्द्र मो0नं0 8750176492 के माध्यम से रु 25000/- लेकर श्रीमती ऊषा देवी w/o रामनिवास (पूर्व मकान मालिक) के संयोजन संख्या 5840/706038 का बकाया रु 57696/- आदि अनेक लोगो से हमने एस0डी0ओ0 हस्ताक्षर स्कैन कर फर्जी स्थाई विच्छेदन रिपोर्ट तैयार कर समाप्त किया गया है। अब तक हमने लगभग 65-70 लोगों से इस तरह से अवैध जुर्माना वसूलकर लगभग लाखों रुपये वसूल लिये।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-

1. अशोक कौशिक पुत्र राजवीर कौशिक निवासी म0नं0 50 गली नं0 50 गली नं0 2 कविता कुंज ईस्ट जवाहर नगर लोनी स्थायी निवासी ग्राम दौलतपुर थाना महावन जनपद मथुरा उम्र 30 वर्ष
- 2.दीपक कुमार पुत्र सोमपाल निवासी सैम्पल हाउस के पास रामपार्क थाना ट्रोनिका सिटी जनपद गाजियाबाद अस्थायी निवासी नीमखेड़ा थाना बुडाना जनपद मुजफ्फरनगर उम्र 28 वर्ष

आपराधिक इतिहास- सद्दाम उपरोक्त

1. मु0अ0सं0-622/2021 धारा -420/467/468/471/409 भादवि थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद

बरामदगी का विवरण अभियुक्त अशोक व दीपक उपरोक्त -

एक लैपटॉप, दो मोबाईल फोन, एक स्कार्पियो गाडी न0 -यू0पी0 84 एच 8696,दो पैन ड्राइव ,11 रसीदे, एक स्कैन किया हुआ पीडी फार्म,22 फोटो व 14000/- रुपये नगद